न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 67 सन 2020

अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र नारायण जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. रणजीत 2. लालचंद 3. मनीराम पि0 बालूराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 15/9/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सायल व गैरसायलानों की चिपते ही कृषि भूमि है तथा रोही मोजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 239 की 4 बीघा 6 बिश्वा , खसरा न0 298/2 की 7.10 बीघा खसरा न0 301/2 की 18.13 बीघा खसरा न0 382/2 की 13.16 बीघा खसरा न0 383/2 की 15.15 बीघा खसरा न0 471की 16 बीघा 5 बिश्वा खसरा न0 585 की 2 बीघा 1 बिश्वा खसरा न0 621/3 की 17.16 बीघा खसरा न0 623/2 की 11.05 बीघा खसरा न0 471/732 की 5.10 बीघा कुल 112 बीघा 16 बिश्वा बारानी कृषि भूमि है।

सायल व दावा मं दर्ज गेरसायल न0 4 ता 6 शान्ति प्रिय व्यक्ति है तथा खेती पेशा व्यक्ति है कृषि कार्य व मजदूरी करते है तथा अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है गैर सायलान न0 1 ता 3 जो वादी के चिपते हुए पडोसी है झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा हमेशा से ही वादी से लडाई झगडा करते रहे है।

गैरसायल न0 1 ता 3 की भूमि वादी के चिपती हुई तथा प्रतिवादीगण गैरसायलानों ने ही सायल के खेतपडोसी चिपते हुए अपने मकान बना रखे है तथा पिछले 2 वर्षो से धीरे – धीरे सायल की खातेदारी भूमि में घूसने की कौशिश करते हुये अपने मकान व बाडा व बटोडा आदी सायल की खातेदारी भूमि खसरा न0 585 की 2.01 बीघा भूमि मे बना लिये है तथा जबरदस्ती खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसका सायल ने सदेह होने पर दिनांक 29.5.2020 को तहसीलदार के आदेश के तहत पटवारी हल्का गोरखाना से सीमाज्ञान भी करवाया गया तो उक्त सदेह सही निकला तथा पटवारी ने निशान देही भी दे दी जिसके तहत खसरा न0 585 की 2.01 बीघा में लगभग 1 बीघा भूमि पर गैरसायल न0 1 ता 3 का अतिक्रमण पाया गया पटवारी हल्का व उपस्थित अन्य गांव के गणमान्य लोगो ने भी गैर सायलानों का उक्त अतिक्रमण हटाने बाबत कहा तथा उक्त पैमाईश की पालना करने के लिये कहा तो उन्होने उक्त अतिक्रमण हटाने से साफ इन्कार हो गये इसलिये गैरसायल न0 1 ता 3 को उक्त खसरा न0 585 की 2.01 बीघा भूमि किये गये अतिक्रमण को तुरन्त हटाने हेतु उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर भविष्य में सायल की सीमा को तोडने से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 ता 3 लडाई झगडा करने वाला व्यक्ति है तथा सगे भाई है एक राय होकर उक्त भूमि पर स्थाई निर्माण करके उक्त भूमि की उर्वक शक्ति को नष्ट करने पर उतारू है तथा सायला को उनके हकों से महरूम करना चाहते है उक्त भूमि पर तथा पास लगती हुई अन्य भूमि पर भी कब्जा करने की फिराक में है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी तथा सायल को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा सायल के हको का हनन होगा इसलिये सायल गैर सायलान की जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

तथा सायल की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखल अन्दाजी ना करे हेतु पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 585 की 2 बीघा 1 बिश्वा भूमि में गैरसायल न0 1 ता 3 स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 161/122 के खसरा न0 257 की 10.06 बीघा खसरा न0 356/1 की 13.01 बीघा , खसरा न0 345/1 की 10.02 बीघा खसरा न0 344/1 की 11.19 बीघा , खसरा न0 445 की 19.12 बीघा , खसरा न0 470/1 की 14 बीघा खसरा न0 556/1 की 10. 04 बीघा, खसरा न0 583 की 16 बीघा कुल 105 बीघा 14 बिश्वा भूमि स्थित है जिसके गैरसायल न0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार है तथा इसी खाता की भूमि में गैरसायल की ढाणी मय मकानात व रिहायश के आबाद है तथा उक्त मिन गैरसायल की खातेदारी भूमि में ही आज से 26 वर्ष पूर्व रिहायशी मकानात बनाये थे जिसमें गैरसायल रिहायश करते है उक्त मकानात केवल गैरसायल की उपरोक्त भूमि जो कि गैरसायल की खातेदारी भूमि में है निर्मित है सायल ने पटवारी हल्का से साज बाज कर एक तरफा तथा बिना किसी पडौसी साक्ष्य के बिना किसी सुचना के रिपोर्ट तैयार की है जो सायल को फायदा पहुचाने की गरज से तैयार की है सायल उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर गैरसायलान जो कि अपनी भूमि पर काबिज है से बेदखल कानूनी तौर से करवा पाने का अधिकारी नही है।

सायल का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नही है गैरसायलान के मकान 26 वर्ष पूर्व में बने है सायल ने पूर्व में भी गांव में पंचायती की थी जिसमें गैरसायलान की ढाणी गैरसायल के खेत में बनना पाई गई थी सायल झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जो गैरसायलान के तंग परेशान करने की लिये झगडा रखता है इसलिये मिथ्या सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय हाजा से पालना करवा पाने का अधिकारी नही है।

सायल ने रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585 की 0.519हैक भूमि में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है खसरा न0 585 की भूमि में 9 सहखातेदार है अकेले सायल का उक्त खेत नही है सहखातेदारान को पक्षकार बनाए बिना प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

सायल ने न्यायालय हाजा में दिनांक 13.07.2012 को वाद पेश किया था जो इसी विवाद विषय पर था सायल ने करीबन 9 वर्षो में कोई अपूर्णीय क्षति नही हुई अब 8 वर्ष बाद अपूर्णीय क्षति कैसे हुई सायल के पास कोई कारण नही है।

रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585 के पास पश्चिम में दिशा खसरा न0 583/1 लगता है उक्त भूमि खसरा न0 583/1 लगायत खसरा न0 585/5 में विभाजित हो गई है तथा खसरा न0 583/1 लालचंद मनीराम पि0 बालूराम के हिस्स में आई है जो जीतराम पुत्र बालूराम के नाम दिनांक 27.03.2019 को जरिये रजिस्टर्ड दान कर दी गई दान पत्र मे विधिवत प्रभावशील रहते पोषणीय नही है।

सायल ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर के समक्ष अनवानी अमरसिह बनाम रणजीत प्रकरण संख्या 55/2000 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रस्तुत कर रखा है जो स्थगन हेतु लम्बित है एक उपरोक्त अनवानी वाद भी लम्बित है उनके जैरकार रहते रवेन्यू कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आटीएक्ट दिनांक 17.07.2020 को पेश किया है जबकि इसी विवाद के विषय को लेकर वाद 221/2012 अनवानी अमरसिह बनाम रणजीत दिनांक 13. 07.2012 को पेश हुअ उक्त वाद साक्ष्य प्रतिवादीगण /गैरसायलान हो चुकी है पत्रावली शेष साक्ष्य के एव बहस के नजदीक है उक्त कार्यवाही को एव न्याय निर्णयान की प्रभावित करने के लिये उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है अतः सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति सावित नही होती है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गैरसायलान का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वकील सायल ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सायल व गैरसायलानों की चिपते ही कृषि भूमि है तथा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 239 की 4 बीघा 6 बिश्वा , खसरा न0 298/2 की 7.10 बीघा खसरा न0 301/2 की 18.13 बीघा खसरा न0 382/2 की 13.16 बीघा खसरा न0 383/2 की 15.15 बीघा खसरा न0 471की 16 बीघा 5 बिश्वा खसरा न0 585 की 2 बीघा 1 बिश्वा खसरा न0 621/3 की 17.16 बीघा खसरा न0 623/2 की 11.05 बीघा खसरा न0 471/732 की 5.10 बीघा कुल 112 बीघा 16 बिश्वा बारानी कृषि भूमि है।

सायल व दावा मं दर्ज गेरसायल न0 4 ता 6 शान्ति प्रिय व्यक्ति है तथा खेती पेशा व्यक्ति है कृषि कार्य व मजदूरी करते है तथा अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है गैर सायलान न0 1 ता 3 जो वादी के चिपते हुए पडोसी है झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा हमेशा से ही वादी से लडाई झगडा करते रहे है।

गैरसायल न0 1 ता 3 की भूमि वादी के चिपती हुई तथा प्रतिवादीगण गैरसायलानों ने ही सायल के खेतपडोसी चिपते हुए अपने मकान बना रखे है तथा पिछले 2 वर्षो से धीरे – धीरे सायल की खातेदारी भूमि में घूसने की कौशिश करते हुये अपने मकान व बाडा व बटोडा आदी सायल की खातेदारी भूमि खसरा न0 585 की 2.01 बीघा भूमि मे बना लिये है तथा जबरदस्ती खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसका सायल ने सदेह होने पर दिनांक 29.5.2020 को तहसीलदार के आदेश के तहत पटवारी हल्का गोरखाना से सीमाज्ञान भी करवाया गया तो उक्त सदेह सही निकला तथा पटवारी ने निशान देही भी दे दी जिसके तहत खसरा न0 585 की 2.01 बीघा में लगभग 1 बीघा भूमि पर गैरसायल न0 1 ता 3 का अतिक्रमण पाया गया पटवारी हल्का व उपस्थित अन्य गांव के गणमान्य लोगो ने भी गैर सायलानों का उक्त अतिक्रमण हटाने बाबत कहा तथा उक्त पैमाईश की पालना करने के लिये कहा तो उन्होने उक्त अतिक्रमण हटाने से साफ इन्कार हो गये इसलिये गैरसायल न0 1 ता 3 को उक्त खसरा न0 585 की 2.01 बीघा भूमि किये गये अतिक्रमण को तुरन्त हटाने हेतु उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर भविष्य में सायल की सीमा को तोडने से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 ता 3 लडाई झगडा करने वाला व्यक्ति है तथा सगे भाई है एक राय होकर उक्त भूमि पर स्थाई निर्माण करके उक्त भूमि की उर्वक शक्ति को नष्ट करने पर उतारू है तथा सायला को उनके हकों से महरूम करना चाहते है उक्त भूमि पर तथा पास लगती हुई अन्य भूमि पर भी कब्जा करने की फिराक में है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी तथा सायल को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा सायल के हको का हनन होगा इसलिये सायल गैर सायलान की जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है तथा सायल की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखल अन्दाजी ना करे हेतु पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 585 की 2 बीघा 1 बिश्वा भूमि में गैरसायल न0 1 ता 3 स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 161/122 के खसरा न0 257 की 10.06 बीघा खसरा न0 356/1 की 13.01 बीघा , खसरा न0 345/1 की 10.02 बीघा खसरा न0 344/1 की 11.19 बीघा , खसरा न0 445 की 19.12 बीघा , खसरा न0 470/1 की 14 बीघा खसरा न0 556/1 की 10.04 बीघा, खसरा न0 583 की 16 बीघा कुल 105 बीघा 14 बिश्वा भूमि स्थित है जिसके गैरसायल न0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार है तथा इसी खाता की भूमि में गैरसायल की ढाणी मय मकानात व रिहायश के आबाद है तथा उक्त मिन गैरसायल की खातेदारी भूमि में ही आज से 26 वर्ष पूर्व रिहायशी मकानात बनाये थे जिसमें गैरसायल रिहायश करते है उक्त मकानात केवल गैरसायल की उपरोक्त भूमि जो कि गैरसायल की खातेदारी भूमि में है निर्मित है सायल ने पटवारी हल्का से साज बाज कर एक तरफा तथा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

बिना किसी पडौसी साक्ष्य के बिना किसी सूचना के रिपोर्ट तैयार की है जो सायल को फायदा पहुचाने की गरज से तैयार की है सायल उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर गैरसायलान जो कि अपनी भूमि पर काबिज है से बेदखल कानूनी तौर से करवा पाने का अधिकारी नही है।

सायल का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नही है गैरसायलान के मकान 26 वर्ष पूर्व में बने है सायल ने पूर्व मे भी गांव में पंचायती की थी जिसमें गैरसायलान की ढाणी गैरसायल के खेत में बनना पाई गई थी सायल झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जो गैरसायलान के तंग परेशान करने की लिये झगडा रखता है इसलिये मिथ्या सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय हाजा से पालना करवा पाने का अधिकारी नही है।

सायल ने रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585 की 0.519हैक भूमि में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है खसरा न0 585 की भूमि में 9 सहखातेदार है अकेले सायल का उक्त खेत नही है सहखातेदारान को पक्षकार बनाए बिना प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

सायल ने न्यायालय हाजा में दिनांक 13.07.2012 को वाद पेश किया था जो इसी विवाद विषय पर था सायल ने करीबन 9 वर्षो में कोई अपूर्णीय क्षति नही हुई अब 8 वर्ष बाद अपूर्णीय क्षति कैसे हुई सायल के पास कोई कारण नही है।

रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585 के पास पश्चिम में दिशा खसरा न0 583/1 लगता है उक्त भूमि खसरा न0 583/1 लगायत खसरा न0 585/5 में विभाजित हो गई है तथा खसरा न0 583/1 लालचंद-मनीराम पि0 बालूराम के हिस्स में आई है जो जीतराम पुत्र बालूराम के नाम दिनांक 27.03.2019 को जरिये रजिस्टर्ड दान कर दी गई दान पत्र मे विधिवत प्रभावशील रहते पोषणीय नही है।

सायल ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर के समक्ष अनवानी अमरसिह बनाम रणजीत प्रकरण संख्या 55/2000 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रस्तुत कर रखा है जो स्थगन हेतु लम्बित है एक उपरोक्त अनवानी वाद भी लम्बित है उनके जैरकार रहते रवेन्यू कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है।

.प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आटीएक्ट दिनांक 17.07.2020 को पेश किया है जबकि इसी विवाद के विषय को लेकर वाद 221/2012 अनवानी अमरसिह बनाम रणजीत दिनांक 13.07.2012 को पेश हुअ उक्त वाद साक्ष्य प्रतिवादीगण /गैरसायलान हो चुकी है पत्रावली शेष साक्ष्य के एव बहस के नजदीक है उक्त कार्यवाही को एव न्याय निर्णयान की प्रभावित करने के लिये उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है अतः सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति साबित नही होती है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सायल की रोही मोजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 239 की 4 बीघा 6 बिश्वा , खसरा न0 298/2 की 7.10 बीघा खसरा न0 301/2 की 18.13 बीघा खसरा न0 382/2 की 13.16 बीघा खसरा न0 383/2 की 15.15 बीघा खसरा न0 471की 16 बीघा 5 बिश्वा खसरा न0 585 की 2 बीघा 1 बिश्वा खसरा न0 621/3 की 17.16 बीघा खसरा न0 623/2 की 11.05 बीघा खसरा न0 471/732 की 5.10 बीघा कुल 112 बीघा 16 बिश्वा बारानी कृषि भूमि है।

रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 161/122 के खसरा न0 257 की 10.06 बीघा खसरा न0 356/1 की 13.01 बीघा , खसरा न0 345/1 की 10.02 बीघा खसरा न0 344/1 की 11.19 बीघा , खसरा न0 445 की 19.12 बीघा , खसरा न0 470/1 की 14 बीघा खसरा न0 556/1 की 10.04 बीघा, खसरा न0 583 की 16 बीघा कुल 105 बीघा 14 बिश्वा भूमि स्थित है जिसके गैरसायल न0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार है।

सायल का कथन है कि गैरसायल न0 1 ता 3 सायल की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान तामिर कर रहे है जिसके सम्बध में पैमाईश करवाई गई थी पटवारी हल्का के द्वारा की गई पैमाईश में गैरसायल जहॉ मकानात तामिर कर रहे थी वह सायल की खातेदारी भूमि पाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जिसके विरोध में गैरसायल का कथन है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो बिना किसी सूचना के कपट पूर्वक सायल को लाभी पहुचाने के लिये तैयार की गई है के आधार पर सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का के द्वारा विवादित भूमि की पैमाईश की गई थी किन्तु पैमाईश रिपोर्ट पर सम्बधित पक्षकारो के पैमाईश के समय के हस्ताक्षर नही है अर्थात पैमाईश की सूचना सम्बधित पक्षकारो को नही होना प्रतित होता है।

गैरसायलान के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2016 पेज 277 पेश कर निवेदन किया की मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का स्थगन/डिक्री पारित नही की जा सकती है प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है क्योकि प्रकरण में मुख्य बिन्दु पटवारी हल्का की पैमाईश रिपोर्ट ही है जिसके आधार पर सायल ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अर्थात गैरसायल के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया न्यायायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है।

गैरसायल का कथन है कि उसके मकान 26 वर्ष पूर्व बनाये गये थे जिसकी जानकारी सायल को थी जो आज अपूर्णीय क्षति सायल को किस प्रकार से हो रही है इस सम्बध में सायल ने कोई साक्ष्य पेश नही किये।

सायल ने रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585/1 के सभी सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है रोही मौजा भगवानसर का खसरा न0 585/1 सयुक्त खाते में दर्ज है अर्थात सभी सयुक्त खातेदारो का हक हिस्सा इस खसरा में निहित है इसलिये सयुक्त खाते के सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था चाहे अनुतोष किसी एक खातेदार से हो।

सायल ने एक वाद अनुवानी अमरसिह बनाम रणजीत दिनांक 13.07.2012 को पेश किया गया था अर्थात आठ वर्ष पूर्व पेश किया गया था तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र 8 वर्षो के बाद पेश किया गया है सायल ने ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य पेश नही किया की वाद पेश करने के आठ वर्ष बाद किस प्रकार अपूर्णीय क्षति हो रही है।

सायल ने एक वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी अनवानी अमरसिह बनाम रणजीत अन्य न्यायालय सिविल न्यायालय नोहर में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है अर्थात स्थगन प्रार्थना पत्र वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। सायल ने स्थगन प्रार्थना सिविल न्यायालय में पहले से विचाराधीन रहते इस न्यायालय में पेश किया गया है जो न्यायोचित नही है जब सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र पहले से विचाराधीन था तो इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही जब पहले से अन्य न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र विचाराधीन है वही प्रार्थना पत्र चलने योग्य है बाद में पेश किया वाद /प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर एवं वाद पेश करने के आठ साल बाद अपूर्णीय क्षति का बिन्दु साबित नही होने तथा पूर्व से ही सिविल न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र एवं वाद विचाराधीन होने के मध्यनजर प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में साबित नही होते है।

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में साबित नही होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 29.07.2020 को रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585 की 2.01 बीघा भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/9/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner